FORM NO.11

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

बालूसिंह बनाम भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

किस्म मुकदमा:–प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट, मुकदमा नम्बर:–46 /2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
17.09.2021	प्रार्थी की ओर से श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत एड0 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट दर्ज रजिस्टर की जावें। अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस मय नकलें साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 30.09.2021 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
30-9-21	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप/अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 29-11-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	2468/20/9/21 नोटिस जारी
[illegible].2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान– 2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– झाड़ली में पेश हुई। प्रार्थी स्वंय उपस्थित। प्रार्थी की पहचान श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत एड0 ने की। वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर विड्रा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विड्रा स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र [illegible] 136 [illegible] को विड्रा कर खारिज किये जाने की स्वीकृ[illegible] है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल [illegible] हो। यह निर्णय आज दि[illegible].2021 को ग्राम पंचायत– झाड़ली में आयोजित प्रशा[illegible] गांवों के संग अभियान–2021 के मजमे–ए–आम में सुनाया गया। 29/11/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्प:– झाड़ली	पटवारी हल्का एड0 (जितेन्द्र सिंह शेखावत एड0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.01 17:42:21 IST
Reason: SelfAttested